॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 1549/08 (65)

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000

उत्तर प्रदेश UTT

493388

वरिष्ठ कोषाधिकारी 007
निर्गत तिथि 28 DEC 2007
हस्ताक्षर
मथुरा

1. भूमि का प्रकार — कृषि भूमि
2. मौहल्ला / ग्राम...मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा
3. मापन की इकाई (हैक्टेयर) रकवा 0.826 हैक्टेयर का हिस्सा 4/5 यानी 0.6608 हैक्टेयर
4. सम्पत्ति का प्रकार :— कृषि भूमि
5. पेड़ों का मूल्यांकन....नहीं
6. बोरिंग / कुंआ / अन्य.. नहीं
7. प्रतिफल की धनराशि.. 2500000/—.रूपये
8. स्टाम्प हेतु मालियत 2500000/—रूपये
9. स्टाम्प देय 250000/—रूपये
10. सरकारी दर भूमि सड़क से दूर1200000/—रूपये प्रतिएकड़ जो नवीन रेट लिस्ट के पृष्ठ सं0 52 क्रमांक 29पर दर्ज है।

कार्यक्षेत्र उ0नि0 मथुरा :— प्रथम / द्वितीय

क्रमांक 89 दिनांक 28/12/07 मूल्य 25.00

नाम श्री प्रदीप कुमार अग्रवाल S/o स्व. श्री जमुना प्रसाद अग्रवाल

पता 11 जमुनाबाग कालोनी गोवर्धन चौराहा मथुरा

डॉ० नरेश कुमार ...

स्टा० वेण्डर

कोषागार, मथुरा

28/12/07

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493389

007
निर्गत तिथि 28 DEC 2007
हस्ताक्षर
मथुरा

(2)

प्रथमपक्ष की संख्या (1)
विक्रेता का विवरण सुधीर गर्ग पुत्र बृजकिशोर नि0भूड़ागेट, डीग, जिला भरतपुर व खिल्लीसिंह [redacted] व आजादसिंह पुत्रगण स्व0 श्री ऊदलिया व श्रीमती सफेदी पत्नी स्व0 श्री ऊदलिया निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री पातीराम पुत्र श्री मंगीसिंह निवासी अकबरपुर तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

RS. TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493390

007

2 8 DEC 2007

(3)

द्वितीयपक्ष क़ी संख्या (1)

क्रेता का विवरण

प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा

सुधीर शर्मा

अनिल सक्सेना

अरविन्द कुमार

Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000 Rs. 25000

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

सत्यमेव जयते

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

Rs. TWENTY FIVE THOUSAND

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493391

2 8 DEC 2007

(4)

हमकि सुधीर गर्ग पुत्र बृजकिशोर निवासी भूड़ागेट, डीग, जिला भरतपुर "राजस्थान" व खिल्लीसिंह [redacted] व आजादसिंह पुत्रगण स्व0 श्री ऊदलिया व श्रीमती सफेदी पत्नी स्व0 श्री ऊदलिया निवासीगण नगला कुम्हेरिया भाग ग्राम दतिया तहसील व जिला मथुरा विक्रेता प्रथमपक्ष व श्री पातीराम पुत्र श्री मंगीसिंह निवासी अकबरपुर तहसील छाता जिला मथुरा व अरविन्द कुमार पुत्र श्री बंगालीमल निवासी लाजपत नगर महोली रोड, मथुरा मुहायदा वै धारक द्वितीयपक्ष पक्षगण इस लेखपत्र के हैं।

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493392

007
28 DEC 2007
हस्ताक्षर
मथुरा

(5)

जो कि आराजी संक्रमणीय भूमिधरी खाता नबर–14 व खसरा नंबर–71 रकवा 0.826 हैक्टेयर लगानी 13.35 रूपया सालाना बाकै मौजा सतोहा असगरपुर तहसील व जिला मथुरा का हिस्सा 4/5 मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष है और सरकारी कागजात माल में विक्रेता प्रथमपक्ष का ही नाम बहैसियत मालिक दर्ज है। जिस हिस्से 4/5 पर विक्रेता प्रथमपक्ष का कब्जा है और जिसके विषय में विक्रेता प्रथमपक्ष को हर तरह के अधिकार प्राप्त है और जो हर तरह के झगड़े झंझटों व कर्जों आदि से पाक साफ है जिस हिस्सा 4/5 में सिवाय विक्रेता प्रथमपक्ष के अन्य किसी का कोई हक हिस्सा व सम्बन्ध नहीं है न कोई ऐसा व्यक्ति अथवा वस्तु है जो विक्रेता प्रथमपक्ष के हिस्से 4/5 का बैनामा करने में कोई रूकावट या बाधा पैदा कर सके उक्त आराजी पर किसी भी वित्तीय

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493393

(6)

संस्था बैंक आदि या व्यक्ति विशेष का कोई भी वार या भार किसी भी प्रकार का नहीं है यानि कि बेची जाने वाली आराजी हिस्सा 4/5 एक मात्र पाक साफ मिल्कियत विक्रेता प्रथमपक्ष की ही है मौजे की आराजी का सड़क से दूर होने की वजह से सरकारी रेट 1200000/–रूपया प्रतिएकड़ का है और बेचे जाने वाली आराजी हिस्सा 4/5 की स्टाम्प हेतु मालियत 2500000/–रूपया है कृषि से कोई खास आय नहीं हो पाती है सौभाग्य से इस समय कीमत अच्छी मिल रही है बेचने में विक्रेता प्रथमपक्ष का सरासर लाभ है कीमत के प्राप्त रूपये को कहीं भी लगा देने से विक्रेता प्रथमपक्ष को एक अच्छी व निश्चित आय हो जावेगी प्रथमपक्ष ने अपनी उक्त आराजी के बेचने का मुहायदा वै दिनांक–8.9.2006 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में बही नंबर–1 जिल्द 3858 के सफा 349/364 नंबर–9989 पर हुई द्वितीयपक्ष से तय किया था मुहायदा वै की शर्तो के अनुसार व उसके अनुपालन में यह विक्रय पत्र द्वितीयपक्ष को शामिल कर उसकी सहमति से किया जा रहा है। अतः उक्त आराजी हिस्सा 4/5

भारतीय गैर न्यायिक
INDIA NON JUDICIAL
RUPEES 25000 रुपये
पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493394

28 DEC 2007

(7)

को समस्त अधिकारों सहित जो विक्रेता प्रथमपक्ष व मुहायदा वै द्वितीयपक्ष को प्राप्त है या भविष्य में प्राप्त हो सकते हों वएवज 2500000/-पच्चीस लाख रूपया जिसके आधे 1250000/-बारह लाख पचास हजार रूपया होते हैं। बदस्त प्रदीप कुमार अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री जमुनाप्रसाद अग्रवाल निवासी 111, श्रीजमुनाधाम कालौनी गोवर्धन चौराहा, मथुरा के हक में बै कतई कर दिया और बेच दिया और कीमत का कुल रूपया खरीदार से पहले ही प्राप्त कर बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 4/5 पर खरीदार का बाकई कब्जा व कब्जा मालिकाना करा दिया । खरीदार बेची गई आराजी हिस्सा 4/5 का सम्पूर्ण स्वामी हुआ । खरीदार समस्त अधिकार मालिकाना प्रयोग में लावें और स्वयं जो चाहे सो करें अब विक्रेता प्रथमपक्ष व विक्रेता प्रथमपक्ष व उसके वारिसानों का बेची गई उक्त आराजी से कोई भी सम्बन्ध किसी भी प्रकार का शेष नहीं रहा न भविष्य में कदापि हो सकेगा। यदि बेची गई उक्त आराजी हिस्सा 4/5 के सम्बन्ध में कभी कोई विवाद किसी भी प्रकार का उत्पन्न हो

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493395

28 DEC 2007

(8)

या बेची गई उक्त आराजी का थोड़ा या कुल कब्जा खरीदार से निकल जावे या खरीदार को कुछ खर्च करना पड़े या देना पड़े या कोई बार बरामद हो तो उसकी समस्त जबाबदेही व खर्चा अदालत व अदा करदा रूपया मय जर समन व जर लागत व सूद व हर्जा खरीदार सब विक्रेता प्रथमपक्ष जिम्मे है और खरीदार वह सब मुझसे व विक्रेता प्रथमपक्ष वारिसानों व विक्रेता प्रथमपक्ष चल अचल सम्पत्ति से हस्व जाब्ता मय खर्चे के बसूल करलें । आराजी एक फसला है आराजी कृषी कार्य में आ रही है आराजी में इस समय कोई फसल नहीं खड़ी है न ही आराजी में कोई पेड़ आदि है । विक्रेता अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है। खरीदार अपना दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करालें जिसमें मुझ विक्रेता की पूर्ण रजामन्दी व स्वीकृति है। उक्त आराजी के 200 मीटर (सराउन्डिंग) में कृषी कार्य हो रहा है। फोटो प्रमाणित राजेन्द्र प्रसाद पाठक

INDIA NON JUDICIAL

भारतीय गैर न्यायिक

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हजार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493396

(9)

एडवोकेट ने किये हैं। उक्त प्रलेख क्रेता विक्रेता के कहे अनुसार गवाहों के समक्ष उन्हें पढ़ा व सुनाकर उनके निर्देशानुसार ड्राफ्ट किया गया है। विक्रेता ने अपना सम्पूर्ण अंश हिस्सा 4/5 बेचा है। अब विक्रेताओं का खसरा नंबरान में कुछ भी अंश भूमि शेष नहीं है। तसदीकी मुख्तारनामा आम दि0–9.12.2004 जिसकी रजिस्ट्री कार्यालय सब रजिस्ट्रार मथुरा में बही नंबर–6 खण्ड 1 के सफा 27 पर नंबर–6 पर दिनांक–9.12.2004 हुई है रासबिहारी पुत्र श्री मोहनलाल अग्रवाल निवासी पाठक गली, राजाधिराज बाजार, मथुरा को उक्त प्रदीप कुमार पुत्र श्री जमुना प्रसाद जी निवासी जमुनाधाम कालोनी गोवर्धन रोड,मथुरा की ओर से उनके द्वारा हस्ताक्षरित प्रलेख प्रस्तुत करने व निबंधन कराने आदि के पूरे पूरे अधिकार प्राप्त हैं।

बेची गई भूमि में हिस्सा 1/5 भूमि विक्रेता सुधीर गर्ग की है जिसको उसने बजरिये बैनामा दिनांक–26.9.2007 जिसका निबंधन कार्यालय उ0नि0 मथुरा में प्रलेख संख्या–11564 पर हुआ, करतारसिंह आदि से खरीदी व 3/5 भाग भूमि शेष विक्रेताओं की है।

RUPEES 25000 रुपये

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

493397

007 निर्गत तिथि 28 DEC 2007

(10)

लिहाजा यह बैनामा वखुशी राजी खूबसोचसमझकर लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवें।

नोट : सफा 2 की लाइन 3 में व सफा 2 की लाइन 2 में शब्द खिल्लीसिंह व शब्द व आजादसिंह के बीच की इबारत पेन से कटी है।

दिनांक– 3.1.2008

कम्प्यूटराईज्ड : गोपाल कृष्ण झारिया मथुरा

ड्राफ्ट किया : सुभाष कुमार चतुर्वेदी एडवोकेट,मथुरा ।

अरविन्द कुमार

गवाह

गवाह

क्रमांक 98 दिनांक 28/12/07 मूल्य 25/-

नाम श्री .... पुत्र ....

पता ....

डॉ0 नरेश कुमार जाकड़
सहा0 रोकड़िया
कोषागार, मथुरा

आज दिनांक **16/02/2008** को

वही सं **1** जिल्द सं **4822**

पृष्ठ सं. **263** से **284** पर कमांक **1549**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

प्र0 मो0 शाकिर
उप-निबन्धक
मथुरा-प्रथम
16/2/2008